प्रेषक,

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
कौशाम्बी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
प्रयागराज।

पत्रांक संख्या– 57 कौशाम्बी / दिनांक–13.10.2020

विषय : (मारूति कार **यू. पी. 70 बी आर–2518** को ट्रू वैल्यू में बेंचने के सम्बन्ध में)

महोदय,

आपको सम्मान पूर्वक अवगत कराना है कि मेरे पास मारूति सुजुकी कम्पनी की कार मॉडल **एस एक्स फोर– वी डी आई डीजल कार** है जो मेरे द्वारा इस सेवा में आने के उपरान्त सन् 2011 नवम्बर में खरीदी गयी थी और माननीय न्यायालय को सूचित कर दिया गया था। मेरी यह कार काफी पुरानी हो गयी है और डीजल कार हाने के कारण तथा ये मॉडल मारूति कम्पनी के द्वारा बन्द करने के कारण इसके खराब होने की दशा में मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में मै एक नई कार खरीदना चाहता हूॅ। इसलिये इस कार को टाटा की अथराइज एजेन्सी **जी.पी. मोटर्स इलाहाबाद** के ट्रू वैल्यू में बेचना चाहता हूॅ जिससे इस कार की जो कीमत मुझे प्राप्त होगी उस कीमत को नई कार की कीमत में समायोजित करते हुये नई कार ले पाऊॅगा, इसलिये माननीय न्यायालय से इस पुरानी कार को बेंचे जाने की अनुमति चाहता हूॅ।

अतः माननीय न्यायालय से यह अनुरोध है कि मेरी कार **यू. पी. 70 बी आर–2518 मारूति सुजुकी एस एक्स फोर– वी डी आई** को ट्रू वैल्यू में बेंचे जाने की अनुमति प्रदान कराने की कृपा करें।

सादर।

दिनॉक–13.10.2020

भवदीय
13/10/2020
(अनुपम कुमार)
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय